

# फर्द अहकाम

संख्या 21

बनाम UNNATI

लय

30/10/2021 मन्त्रिकाल

UNNATI

72/21

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
26/11/22	<p>कार्यालयी पेश हुई। अधिकतम संप द्वारा कार्यवाही/कार्य का अधिकार करने पर कार्यालयी पूर्वानुसार दिनांक 31/11/23 पेश हुई।</p>	
31/01/23	<p>कार्यालयी पेश हुई। अधिकतम संप द्वारा कार्यवाही/कार्य का अधिकार करने पर कार्यालयी पूर्वानुसार दिनांक 03/04/23 पेश हुई।</p>	
4/4/23	<p>दिनांक 3/4/23 को मन्त्रिकाल में आठ कार्यालयी पेश हुई। अधिकतम संप द्वारा कार्यवाही/कार्य का अधिकार करने पर कार्यालयी पूर्वानुसार दिनांक 20/4/23 पेश हुई।</p>	
20/4/23	<p>कार्यालयी पेश हुई। मंत्रालयिक कार्यवाहियों को अंतर्गत होने से कार्यालयी पूर्वानुसार दिनांक 20/7/23 को पेश हो।</p>	
22/07/23	<p>मंत्रालयी पेश हुई। वकील अफस पत्र अफस। अहमदाबाद मन्त्रिकाल में अपनी पत्रावली 12.11.2022/14975 दिनांक 20/12/22 को कुर्तजाह रिपोर्ट पेश की। दिनांक 21/11/22 मंत्रालय अफस अफस। मंत्रालयी दिनांक 4/12/23 को पेश की।</p>	<p>अधिकतम संप अधिकतम संप</p>
4/12/23	<p>कार्यालयी पेश हुई। वकील अफस पत्र मंत्रालयी में पेश कुर्तजाह रिपोर्ट अफस वकील अफस को अफस अफस अफस।</p>	

अधिकतम संप  
अधिकतम संप

**फर्द अहकाम**

नाम न्यायालय

जगदीश बनाम

जमनालाल शर्मा

केस संख्या 72/2021

अपवाद अधिकारी

जमनालाल शर्मा

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विक्रम
		<p>वकील वादी ने अपनी बहाल में वाद                      पर को अतिरिक्त कर्टेजिए रिपोर्ट                      अन्तर्गत हकीकत कर्तनी का निर्देश                      किया। जमानती का अन्वयेकत                      किया गया। वक्त वकील वादी की                      अज्ञान को भयत किया गया। अतः                      जमानती का अन्वयेकत कर्तनी का                      अज्ञान को भयत कर्तनी पर वादी का                      वाद अतिरिक्त कर्टेजिए के अतिरिक्त                      अन्वय में हकीकत कर तकासिल                      कर्तनी अतिरिक्त लम्बाई है। अतः वादी                      की वाद अन्तर्गत धारा 53, 188                      भा. सी. ए. के अतिरिक्त कर्टेजिए                      रिपोर्ट के अन्वयेकत तकासिल                      किया जाता है। कित्तु निर्णय पृष्ठ                      में जिला मज्द शक्ति जिला                      किया गया। जमानती केवल                      शुभत देकर गवर्त से कर्तनी                      तकासिल वाद प्रति देकर साक्षिल                      करत है।</p>	<p>1. राजस्व                      2. जगदीश                      3. जमवार                      4.                      5.                      6.                      7.</p>
		<p>अपवाद अधिकारी                      जमनालाल शर्मा, जिला-जबलपुर</p>	<p>मानज                      यह                      दौल                      उप                      गर                      य                      त                      प्र                      में                      म                      भ                      ल                      त</p>